

प्रपत्र-2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक - SSA/1787

दिनांक 08-11-2018

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

Rec. code- 20180623/2018

K.K. PUBLIC SCHOOL, BIHAR SHARIF

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।
महाशय/महाशया,

आपके द्वारा दिये गये आवेदन प्रपत्र और निरीक्षी पदाधिकारी से इसका जाँच उपरान्त की गयी अनुशंसा के आधार पर दिनांक 08.11.2018 को निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय K.K. PUBLIC SCHOOL, BIHAR SHARIF को कक्षा I से V/VIII तक संचालन हेतु वर्ष 2018-19 से तीन वर्षों की अवधि के निम्न शर्तों के साथ औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कड़िका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में- उसके उम्र प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-
 - (क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (ङ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - (छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (ज) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

PTO

Rai Chandra
Secretary
K.K. Public School

V. Bhendary
PRINCIPAL
K.K. PUBLIC SCHOOL
BERAUTI (NALANDA)

- 8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
- 10 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
- 11 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- 12 विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 13 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 14 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
- 15 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **20180623/2018** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 16 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 17 यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 18 विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा, निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था, रसोईघर एवं बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) में शेष निर्धारित मापदंडों को प्रस्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर पूरा करेगा एवं संसूचित करेगा।
- 19 अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
- 20 किसी भी समय संशय/अस्पष्टता/भ्रम की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मान्य होगा।

विश्वासभाजन

[Signature]
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक- SSA/1787 /बिहारशरीफ दिनांक 08-11-2018

प्रतिलिपि- श्री बृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, नालन्दा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालन्दा /एम0आई0एस0, प्रभारी, एस0एस0ए0, नालन्दा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला- नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
Additional D.P.C.
SSA, Nalanda

[Signature]
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

[Signature]
Secretary
K.K. Public School

[Signature]
PRINCIPAL
K.K. PUBLIC SCHOOL
BERAUTI (NALANDA)